अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जगदीश पुत्र राम्या 2. बोद्या पुत्र ईसरा समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम देवापुरा तह. बस्सी।		1. कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम जाति महाजन निवासी देवापुरा तह. बस्सी। 2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी। 3. नारायण पुत्र हुक्मा 4. जयराम पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी देवापुरा तह. बस्सी।

दावा बाबत इस्तकरार हक, एवं स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली

निर्णय दिनांक 18.05.2018

मुकदमा नम्बर 113/16

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मनोहरपुरा में पेश हुई। प्रतिदावाकर्ता स्वयं उपस्थित। जिसकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा ने की है। उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी तथा तहसीलदार बस्सी से केम्प कोर्ट स्थल पर रिकार्ड का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रतिदावाकर्ता को प्रतिवाद पत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा केम्प कोर्ट मनोहरपुरा में तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड का अवलोकन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 161/1, 161/3, 192 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम देवापुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादग्रस्त भूमि आरंभ से ही मीणा समुदाय के व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज थी जो गंगू उर्फ गंगाराम महाजन के पास रहन रखी हुई थी। प्रतिदावाकर्ता ने केवल खसरा गिरदावरी पेश की है। जिससे मात्र यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिदावाकर्ता केवल काश्त करते रहे है किंतु यह साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि भें प्रतिदावाकर्ता की खातेदारी भूमि में थी। केम्प कोर्ट मनोहरपुरा स्थल पर तहसीलदार बस्सी से समस्त पुराने रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड में भूमि रहन का इन्द्राज होना पाया गया। प्रतिदावाकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत दस्तावेज होने से इंकार किया जिससे यह साबित हो सके कि रिकार्ड में रहन का इन्द्राज त्रुटिवश रिकार्ड में दर्ज हो गया हो। प्रतिदावाकर्ता द्वारा मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार मांग रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील सं. 4096/2008 निर्णय दिनांक 12.09.2017 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को वाद संपति के स्वामित्व के अधिकारों की घोषणा प्रदान नही की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिदावाकर्ता को कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिदावाकर्ता का काउंटर क्लेम विधि की मंशा के अनुरुप नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 18.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मनोहरपुरा में मजमे आम में सुना गया।

18.5.18

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जगदीश पुत्र राम्या 2. बोद्या पुत्र ईशरा समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम देवापुरा तह. बस्सी।		1. कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम उर्फ गंगासहाय जाति महाजन निवासी देवापुरा तह. बस्सी। 2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी। 3. नारायण पुत्र हुक्मा 4. जयराम पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी देवापुरा तह. बस्सी।

दावा बाबत इस्तकरार हक, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 113/16 निर्णय दिनांक 18.05.2018

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 161/1, 161/3, 192 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम देवापुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादग्रस्त भूमि आरंभ से ही मीणा समुदाय के व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज थी जो गंगू उर्फ गंगाराम महाजन के पास रहन रखी हुई थी। प्रतिदावाकर्ता ने केवल खसरा गिरदावरी पेश की है। जिससे मात्र यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिदावाकर्ता केवल काश्त करते रहे है किंतु यह साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिदावाकर्ता की खातेदारी भूमि में थी। केम्प कोर्ट मनोहरपुरा स्थल पर तहसीलदार बस्सी से समस्त पुराने रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड में भूमि रहन का इन्द्राज होना पाया गया। प्रतिदावाकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत दस्तावेज होने से इंकार किया जिससे यह साबित हो सके कि रिकार्ड में रहन का इन्द्राज त्रुटिवश रिकार्ड में दर्ज हो गया हो। प्रतिदावाकर्ता द्वारा मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार मांग रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील सं. 4096/2008 निर्णय दिनांक 12.09.2017 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को वाद संपति के स्वामित्व के अधिकारों की घोषणा प्रदान नही की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिदावाकर्ता को कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिदावाकर्ता का काउंटर क्लेम विधि की मंशा के अनुरुप नही होने से खारिज किया जाता है।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत..... .....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.18 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त..... 18.5.18
ओहदा.....
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा		

Contd--2

स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर